सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती मुमताज व अन्य बनाम मु. हाजरा व अन्य

मु0न0 33/04 सन

किस्म मुकदमा U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-08-19	वकुला. ए. पक्षी. उपस्थित / उभयपक्षान के अधिवक्तागण की बहस अंतिम गुणागुण टी. आर. पर सुनी गई / पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र हेतु दिनांक 21-08-19 को पेश हो / (हस्ताक्षर) (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
21-08-19	वकुला. ए. पक्षी. उप. / बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया / बाद अवलोकन प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है / आदेश पृथक से टाईप करवाकर मेरे हस्ताक्षर से शामिल मिसल किया गया / पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो / (हस्ताक्षर) (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 33/2004

आदेश दिनांकः–

1– श्रीमति मूमल आयु 92 साल बैवा श्री लाल मौहम्मद जी––मृतक––
2– श्री अकबर आयु 64 साल पुत्र स्व0 श्री लाल मौहम्मद जी
3– श्री अशरफ आयु 61 साल पुत्र स्व0 श्री लाल मौहम्मद जी
निवासीयान ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
4– श्रीमति शांति पुत्री स्व0 श्री लाल मौहम्मद जी पत्नि श्री नजीर जी
5– श्रीमति सकीना पुत्री स्व0 श्री लाल मौहम्मद जी पत्नि श्री नजीर जी
जाति मेहरात निवासीयान गांव जगमालपुरा तहसील रायुपर जिला–पाली
बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारीस काबिज जायदाद स्व0लालमौहम्मद जी
पुत्र श्री गुलाब जी जाति मेहरात निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर व
बहैसियत वारीस काबिज बहैसियत जायदाद स्व0 अन्नी व पन्नी बैवा गुलाब
मेहरात निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

––––––प्रार्थीगण

ब ना म

1– मुस्मात हाजरा बैवा लाडू
2– इस्माईल पुत्र श्री लाडू जी
3– मिश्रु पुत्र श्री लाडू जी
4– अहमदा पुत्र श्री लाडू जी
समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारीसान स्व0 लाडू पुत्र वजीरा जाति मेहरात
निवासी ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
5– श्रीमति धन्नी पत्नि श्री अली मौहम्मद जी (अब मृतक)
5/1–श्री अली मौहम्मद पति श्रीमति धन्नी
5/2–श्री अजमल काठता पुत्र श्रीमति धन्नी पिता श्री अली मौहम्मद
5/3–श्री जमालुद्धीन पुत्र श्रीमति धन्नी पिता श्री अली मौहम्मद
समस्त जाति मेहरात निवासीयान मास्टर कॉलोनी मेवाडी गेट के बाहर, ब्यावर
5/4–श्रीमति टेमा पुत्री श्रीमति धन्नी पिता श्री अली मोहम्मद जाति मेहरात
निवासी ग्राम रूपनगर घाटी, तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
5/6–श्रीमति फेमिदा पत्नि स्व0 श्री करामत जी चीता पुत्री श्रीमति धन्नी पिता श्री
अली मौहम्मद जाति चीता, निवासी ग्राम व पोस्ट हटुण्डी तहसील अजमेर
5/7–श्रीमति रसूली पत्नि श्री मस्तांन जी पुत्री श्रीमति धन्नी पिता श्री अली मौहम्मद
निवासी ग्राम राण्डमारी (झाक) तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0
5/8–श्रीमति सुशीला पत्नि श्री अशोक जी पुत्री श्रीमति धन्नी पिता श्री अली मौहम्मद
जाति मेहरात निवासी मुकाम व पोस्ट मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
6– नजीर पुत्र श्री घीसा जी
7– श्री शफी पुत्र सुवा जी
8– श्री बाबू पुत्र सुवा जी
9– श्री अनवर पुत्र सुवा जी
10– श्री रोशन पुत्र सुवा जी

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

श्रीमति जडाव बैवा सुवा जी
संख्या 6 से 11 जाति मेहरात निवासीयान ग्राम माण्डेडा तहसील ब्यावर
12– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर

------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांकः– 21-08-19

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा माण्डेडा तहसील ब्यावर में स्थित साबिक खसरा नंबर 242 खाता नंबर हाल 173 खसरा नंबर हाल 309 रकबा 01–12–00 किस्म चाही–3 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी सहित अन्य आराजी की खातेदार काश्तकार मुसमात पन्नी व अन्नी बैवा गुलाब जी कौम मेहरात थी उनके स्वर्गवास के पश्चात खाता संख्या साबिक 33 की सम्पूर्ण आराजी व खाता संख्या 75 साबिक में वर्णित आराजी का आधा हिस्सा व वादीगण प्रार्थीगण के क्रमशः पति व पिता श्री लाल मौहम्मद पुत्र गुलाब जी जो कि गुलाब जी के व अन्नी व पन्नी के दत्तक पुत्र होने के कारण बजरिये नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 6.3.1967 ग्राम पंचायत द्वारा अंकन करने का आदेश दिया व उक्त नामान्तजकरण के आधार पर राजस्व अभिलेखो में वादीगण के पति व पिता का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो गया व तभी से विवादितग्रस्त आराजी सहित तमाम आराजीयात पर भोतिक रूप से कब्जा श्री लाल मौहम्मद पुत्र गुलाब जी मेहरात उनके जीवनकाल तक रहा व .उनके स्वर्गवास दिनांक 27.11.2002 को होने के पश्चात उक्त आराजी का कब्जा वाकई वादीगण प्रार्थीगण का निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति धन्नी का कोई संबंध व सरोकार नही रहा है, व न ही उसका कब्जा इस भूमि पर कभी रहा किन्तु संवत 2027 में हुये सेटलमेंट अधिकारीयो व कर्मचारीयो से मिलकर विवादित आराजी अपने नाम अंकित करवा ली जबकि विवादित आराजी का नामान्तकरण इससे पूर्व ही स्व0 लाल मौहम्मद के नाम दिनांक 6.3.1967 को अंकित हो गया था इसके अलावा सेटलमेंट अधिकारी को विवादित आराजी श्रीमति धन्नी के नाम अंकित करने का कोई हक व अधिकार नही था। प्रतिवादी संख्या 5 ने सेटलमेंट संवत 2027 जिसे की कभी मान्यता राज्य सरकार द्वारा नही मिली के आधार पर उक्त वर्णित भूमि को जिसका आधिपत्य स्व0 लालमौहम्मद जी के पास था प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पति व पिता लाडू पुत्र वजीरा जी को गलत व गैर काननी रूप से अन्तरित कर दी जबकि उक्त आराजी को किसी भी प्रकार से अन्तरित करने का हक श्रीमति धन्नी प्रतिवादी संख्या 5 को नही था अत श्रीमति धन्नी द्वारा निष्पादित अन्तरण का दस्तावेज स्व0 लाल मौहम्मद वादीगण के हको पर निष्प्रभावी है। उक्त विवादित आराजी का भोतिक कब्जा वादीगण के कब्जे में ही चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 आपस में मिला भगती करके अवेध तरीके से अन्तरित कर देने के कारण राजस्व अभिलेखो में आराजी खसरा नंबर 309 लाडू पुत्र वजीरा के नाम अंकित कर दी है, जिसे की दुरूस्त की जाकर वादीगण के नाम अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 6 से 11 आवश्यक पक्षकार होने व घीसा व सुवा पिसरान वजीरा के उत्तराधिकारी होने से पक्षकार बनाया है, तथा उनके विरूद्ध किसी भी तरह का अनुतोष नही चाहा है। उक्त तथ्यो का एक वाद वादीगण ने इसी माननीय न्यायालय मे धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 व धारा 136 भू राज0 अधि0 का पेश किया है जिसमें सफलता

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

जाने की पूरी पूरी सम्भावना है। तथा उक्त तथ्यो को देखते हुये प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन बनना पाया जाता है, एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी तथा उनके किसी भी भाग को हस्तांतरित आदि नही करे तथा विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल नही करे। तथा प्रार्थीगण के कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी करे अथवा करावे। तथा खर्चा दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 व 10 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को नकारते हुये जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही अंकित नही किया है, कि अन्नी व पन्नी ने प्रार्थीगण को दत्तक पुत्र पुत्रान के रूप में किस तारीख को गोद लिया तथा कोई गोदनामा प्रार्थीगण के पास में है या नही इसका वर्णन भी इस पद में नही किया गया। मुस्मात अन्नी व पन्नी ने प्रार्थीगण को कभी भी गोद नही लिया क्योकि प्रार्थीगण को अन्नी व पन्नी द्वारा गोद लेने का कोई दस्तावेजत सबूत भी प्रार्थीगण के पास नही है, ना ही स्व0 अन्नी व पन्नी को प्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 लाल मौहम्मद को गोद लेने की आवश्यकता नही थी और ना ही लाल मौहम्मद ने कभी भी अन्नी व पन्नी के पास रहकर कोई सेवा चाकरी नही करी क्योकि पन्नी के जायन्दा लडकी श्रीमति धन्नी जीवित थी ओर वह भी अपनी मां की सेवा चाकरी करती थी तथा अपनी पुत्री की सेवा चाकरी से खुश होकर दिनांक 21.7.1966 को रजिस्टर्ड वसीयतनामे द्वारा उक्त भूमि के अलावा तमाम चल व अचल जायदाद मरने के बाद श्रीमति धन्नी की होना जाहिर किया तथा श्रीमति पन्नी के मरने के बाद उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी व वारीस होने तथा वसीयतनामे के आधार पर श्रीमति धन्नी उक्त आराजियात की खातेदारी काश्तकार हुई उक्त आराजी धन्नी के कब्जे में ही चली आ रही थी राजस्व रेकार्ड में जिस नामान्तकरण का वर्णन किया गया है, वह नामान्तकरण का कोई अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नही हुआ तथा लाल मौहम्मद ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती करके उक्त नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया जिसको राज्य सरकार द्वारा मान्यता नही मिली इस कारण उक्त नामान्तकरण कत्तई अवेध व शून्य था जिसके आधार पर प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है। वादग्रस्त आराजी श्रीमति धन्नी की मालिकाना अधिकारो की भूमि थी जिसने दिनांक 14.6.1975 जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा उक्त लाडू पुत्र वजीरा को बेचान करके उस पर कब्जा सोप दिया था तथा उकत बेचाननामा के आधार पर श्री लाडू पुत्र वजीरा के नाम पर नामान्तकरण हो चुका है। और रोज बेचान से उक्त आराजियात पर लाडू पुत्र वजीरा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजियात लाडू पुत्र वजीरा के नाम अंकित हो गई है। तथा उसके बाद राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में लाडू पुत्र वजीरा के नाम अंकित चली आ रही है। तथा प्रार्थीगण का कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमियो में नही है तथा वादग्रस्त भूमियो पर लाडू पुत्र वजीरा का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड 1350 फसली में उक्त आराजियात जिसके खाता खेवट नंबर 86 रकबा 10–04–10 में उक्त आराजी पन्नी व मुस्मात अन्नी बैवानान गुलाब हिस्से बराबर दो हिस्से अंकित चला आ रहा था तथा खतौनी जमाबंदी 1350 फसली में भी

.....लगातार

(जसवीरसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

पुत्र कला कौम ढाली की खातेदारी में 242 आराजी ताबेमरजी अंकित चली आ ही है, तथा चौसाला गिरदावरी संवत 2051 व उसके बाद संवत 2055–56, 57, 58 में उक्त आराजी आजरा बैवा लाडू ईसमाईल, मिश्रु, अहमद पिसरान लाडू के कब्जे काश्त में अंकित चला आना राजस्व रेकार्ड में है, तथा वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजीयात लाडू पुत्र वजीरा के नाम अंकित चली आ रही है। तथा उसके बाद राजस्व रेकार्ड उक्त आराजियात रहीमा पुत्र वजीरा की खसरा गिरदावरीयो में काश्त होना अंकित हो रखा है, रहीमा नाऔलाद फोत हो गया था उसके बाद में तमाम गिरदावरीयो में लाडू पुत्र वजीरा का नाम राजस्व अभिलेख में चला आ रहा है, तथा उक्त आराजी दिनांक 14.6.1975 को श्रीमति धन्नी पुत्री पन्नी से उक्त आराजी रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारा खरीद कर ली गई थी तथा उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जबकि वाद के साथ न तो कोई गोदनामा या किसी प्रकार की कोई तहरीर प्रस्तुत नही की है, ना ही गांव के व्यक्तियो के शपथ पत्र पेश किये जिससे यह प्रतीत हो सके कि लाल मौहम्मद को पन्नी व अन्नी ने गोद लिया हो लाल मोहम्मद ने ग्राम पंचायत में मिलकर दिनांक 6.3.1967 को मिलीभगती करके अपना नाम अंकन करा लिया लेकिन उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ उसके उसका नाम अंकित नही हुआ। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त आराजियात में कोई अधिकार या किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नही है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा जारी की निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखी जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली को अद्धोपांत अवलोकन किया गया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीगण के हक में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.07.2004 को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माण्डेडा तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 309 के विषय में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 21-08-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.08 15:33:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: